न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

उपस्थितः बद्री विशाल पाण्डेय.....एच.जे.एस.

UPKS010020272026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 67/2026

डॉ0 फूलचन्द्र पटेल पुत्र रामलखन निवासी ग्राम मलाक रेजमा, बिदनपुर, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी।

.....प्राथी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0सरकार .....विपक्षी।

मु.अ.सं.–89/2026
धारा–105 बी0एन0एस0,
थाना–कोखराज,
जनपद–कौशाम्बी।

प्रार्थी की ओर से.....श्री आई0एन0पाण्डेय, एडवोकेट।
राज्य की ओर से.....श्री सोमेश्वर कुमार तिवारी, डी.जी.सी. (किमि.)।

14.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त डॉ0 फूलचन्द्र पटेल की ओर से मु0अ0सं0–89/2026, धारा–105 बी0एन0एस0, थाना–कोखराज, जनपद–कौशाम्बी के मामलें में प्रस्तुत किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्राथी/अभियुक्त तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता डॉ0 फूलचन्द्र पटेल द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है वह स्वयं अभियुक्त है एवं शपथपत्र में दिये गये तथ्यों से भलीभॉति परिचित है तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की धारा–1 लगायत 22 का समर्थन जरिये शपथपत्र कर रहा है।

2. अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा सावित्री देवी द्वारा इस आशय की सूचना थाना कोखराज में दी गयी कि उसके पति स्व0 मन्तलाल के दायें पैर में सूजन होने के कारण अपने पति को दिनांक 01.01.2026 को समय लगभग 10 बजे रात उसने तितिक्षा हास्पिटल कल्यानपुर इलाज कराने के लिए ले गयी। हास्पिटल में डाक्टर फूलचन्द्र मिले, जिन्होने उसके पति को तत्काल हास्पिटल में भर्ती कर लिया तथा पैर में पस बताकर इलाज शुरू कर दिया तथा फीस तीस हजार रूपये जमा करा लिया। उसको इलाज वाले कमरे से बाहर बैठा दिया तथा पूरी रात डाक्टर ने उसको अपने पति से मिलने नहीं दिया था तथा इलाज हेतु फिर पचास हजार रूपये जमा करा लिया था और उसने पचास हजार रूपये जमा किया था। सुबह दिनांक 02.01.2026 को उक्त डाक्टर फूलचन्द्र पटेल ने उसके पति को मृत्यु घोषित कर दिया था तथा फिर बीस हजार रूपये की मांग किया था तथा कहा कि बीस हजार रूपये जमा करो लाश अपने पति स्व0 मन्तलाल पटेल को ले जाओ। तब उसने व उसके परिजनों ने थाने पर सूचना प्रार्थना पत्र दिया था। मौके पर थाना कोखराज की पुलिस आयी। पुलिस के आने के पहले डॉ0 फूलचन्द्र पटेल मौके से फरार हो गया था। उसके पति का पुलिस ने पोस्टमार्टम दिनांक 02.01.2026 को कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सेप्टिक शॉक आया था। डॉ0 फूलचन्द्र पटेल के गलत इन्जेक्शन लगाने व गलत दवा के कारण लापरवाही के कारण उसके पति की जान रातो–रात चली गयी थी। उसके 03 नाबालिग बच्चे क्रमशः रविकुमार 16 वर्ष, प्रियांशी 14 वर्ष व सनी 12 वर्ष है। बच्चे अनाथ हो चुके है।

Digitally signed by BADRI VISHAL PANDEY
Date: 2026.07.17 19:10:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वह डाक्टर नहीं है, केवल अस्पताल का संचालक है। डां0 आर0एस0 सेंगर साहब एम.बी.बी.एस.एमडी. है। धारा–105 बी0एन0एस0 का कोई अपराध नहीं बनता क्योंकि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि हत्या करने का कोई आशय नहीं है जिससे उसको सदोष मानव वध का अपराधी माना जाय। वह निर्दोष है। उसको मुकदमा उपरोक्त में झूँठा व रंजिशन फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। विवेचनाधिकारी द्वारा फर्जी व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है, विवेचना हो रही है, जिसके कारण उसको स्थानीय पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उसको अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना आवश्यक है। वह धारा–482 बी.एन.एस.एस. एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए दौरान विचारण में सहयोग करेगा और न्यायालय में नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा, विचारण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। दौरान अग्रिम जमानत साक्षियों न को न प्रभावित करेगा न दबाव बनायेगा न डरवायेगा और न ही धमकायेगा। वह अग्रिम जमानत हेतु बन्धपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के गलत इन्जेक्शन लगाने व गलत दवा के कारण लापरवाही के कारण वादिनी मुकदमा के पति की मृत्यु कारित हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के गलत इन्जेक्शन लगाने व गलत दवा के कारण लापरवाही के कारण वादिनी मुकदमा के पति की मृत्यु कारित होना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं। विवेचक ने दौरान विवेचना गवाहों के बयान लिये हैं। विवेचक को गवाहों ने अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता बतायी है। मृतक मंतलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु सेप्टिक शॉक एवं एण्टी मोर्टम सेप्टिसीमिया के कारण होना दर्शित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा इलाज करना कहा जाता है, जो स्वीकृत रूप से स्वयं डाक्टर है ही नहीं। प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस तथ्य इस स्तर पर विद्यमान नहीं है।

6. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, इस स्तर पर मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न पाये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, प्रार्थी/अभियुक्त डॉ0 फूलचन्द्र पटेल की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(बद्री विशाल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No.UP2025
दिनांकः14.07.2026